तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
17/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली बाद तलबी प्रतिवादीगण की दि० 6-12-17 को पेश हो।	वास्ते तलबी 6.12.17 नोटिस
6/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बइन्तजार नोटिस तलबी पत्रावली दिनांक 16-1-18 को पेश हो।	
16/01/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बइन्तजार नोटिस तलबी पत्रावली दिनांक 28.02.18 को पेश हो।	
	पीठासीन अधिकारी महो.राजकीय दौरे/ कानून व्यवस्था/प्रोटोकॉल राज कार्य में व्यस्त होने के कारण दिनांक 28-2-18 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25-4-18 नियत की जाती है।	
25/4/18	पत्रावली आज पेश। वकील वादी उप०। ~~प्रतिवादी~~ अप्रार्थी सं० 1 की तरफ से कपिल देव महावर द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब आगामी तारीख पेशी कैम्प कोर्ट डीडवाना 15.6.18 को पेश हो।	
15/6/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र डीडवाना पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार चोप का बरवाड़ा द्वारा जवाब पेश किये जाने पर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी की राजस्व ग्राम ढोली स्थित खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान खसरा 453 रकबा 0.95 हैक्टेयर है जो कि खसरा नं० 236/4 से बना है रस्पोडेन्ट साबिक खसरा सं० 236/4 खातेदारी भूमि वर्तमान सं० 01 के स्व. पति की खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा 455 रकबा 0.89 हैक्टेयर जो कि गत साबिक खसरा 236/2 से बने हैं। मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 की भूमि पर एवं अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज है। एवं मौके के आधार पर वो राजस्व नक्शों में खसरा 453 को 455 एवं 455 को 453 अंकित करने संबंधी अनुतोष चाहता है तहसीलदार के जवाब अनुसार वांछित अनुतोष दिये जाने पर रकबे में कमी बेशी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	नहीं होगी परन्तु नम्बरान का नक्शा शीट में कुदान होगा जो कि उचित नहीं है पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मियों की गलती से किसी प्रकार की अशुद्धि हुई है प्रार्थी स्वयं के कब्जे के आधार पर नक्शे में दुरुस्ती करवाना चाहता है जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधि 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो दर्ज न०से कम हो।	